अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

धारा 41 का संशोधन।

61. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 41 की उपधारा (1) में, परंतुक का लोप किया जाएगा । 1962 का 52

धारा 129क का संशोधन ।

62. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129क में उस तारीख से जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(6) अपील अधिकरण को अपील ऐसे प्ररूप में की जाएगी और उसका सत्यापन ऐसी रीति से किया जाएगा जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और शुल्क और ब्याज की मांग की या उस शास्ति के उद्ग्रहण की, जिसके संबंध में अपील की गई है, तारीख का विचार किए बिना, उसके साथ,—

(क) जहां किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए शुल्क और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पांच लाख रुपए या उससे कम है, वहां एक हजार रुपए की फीस होगी ;

(ख) जहां किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए शुल्क और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पांच लाख रुपए से अधिक है किंतु पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, वहां पांच हजार रुपए की फीस होगी;

(ग) जहां किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए शुल्क और ब्याज तथा उद्गृहीत शास्ति की रकम, ऐसे मामले में, जिससे अपील संबंधित है, पचास लाख रुपए से अधिक है, वहां दस हजार रुपए की फीस होगी :

परंतु उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपील या उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन की दशा में, ऐसी कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

(7) अपील अधिकरण के समक्ष, किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ,—

(क) रोके जाने की मंजूरी के लिए या भूल की परिशुद्धि के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी अपील की दशा में; या

(ख) किसी अपील अथवा किसी आवेदन के प्रत्यावर्तन के लिए,

पांच सौ रुपए की फीस होगी ।"।

धारा 137 का संशोधन।

63. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 137 में. उपधारा (2) के पश्चात् के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का, कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने से पूर्व या पश्चात्, अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी प्रशमन रकम का, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, केन्द्रीय सरकार को संदाय करने पर मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा ।"।

अपराधों का प्रशमन करना ।

धारा 156 का संशोधन।

64. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 की उपधारा (2) में खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ज) धारा 137 की उपधारा (3) के अधीन प्रशमन के लिए संदत्त की जाने वाली रकम ।"।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों द्वारा की गई कतिपय कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण ।

65. (1) राजपत्र में सा.का.नि. 393(अ), तारीख 30 जून, 2004 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 83/2004-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 30 जून, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों के प्रयोजनों के लिए 11 मई, 1982 से ही भूतलक्षी रूप से सभी प्रयोजनों के लिए प्रवृत्त हुई समझी जाएगी और सदैव से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों के संबंध में सीमाशुल्क अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सीमाशुल्क अधिकारी के रूप में उक्त अधिसूचना द्वारा नियुक्त किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा 11 मई, 1982 से ही 30 जून, 2004 तक की गई कोई कार्रवाई या कोई बात, सभी प्रयोजनों के लिए, विधिमान्य रूप से की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो अधिसूचना द्वारा की गई नियुक्ति सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थीं ;

(ख) कोई वाद या अन्य कार्यवाही केंद्रीय सरकार या उक्त अधिसूचना द्वारा सीमाशुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के विरुद्ध, जो 11 मई, 1982 से ही 30 जून, 2004 तक की अवधि के दौरान सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों के संबंध में सीमाशुल्क अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सद्भाविक रूप से की गई हो, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष संस्थित नहीं की जाएगी, चालू या जारी नहीं रखी जाएगी, मानो अधिसूचना द्वारा की गई नियुक्ति सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थी ;

(ग) उक्त अधिसूचना द्वारा सीमाशुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के, 11 मई, 1982 से ही 30 जून, 2004 तक की अवधि के दौरान, आदेश या निदेश द्वारा या उसके अधीन शुल्क या ब्याज या शास्ति या जुर्माने या अन्य प्रभारों की किसी रकम की, की गई वसूली विधिमान्य समझी जाएगी और सभी प्रयोजनों के लिए सदैव विधिमान्य और प्रभावी रूप में की गई समझी जाएगी मानो उक्त अधिसूचना द्वारा की गई नियुक्ति सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने की इस प्रकार शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसको सदैव ऐसी शक्ति थी, मानो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा (4) के अधीन उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से प्रवर्तन में लाने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी ।

1962 का 52

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वित्त अधिनियम, 1995 के प्रारंभ से पूर्व यथाविद्यमान सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों के पदनाम उक्त वित्त अधिनियम की धारा 50 और धारा 70 के नीचे क्रमशः सारणियों में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी प्रतिस्थापित पदनाम समझे जाएंगे ।

1995 का 22

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि उक्त अधिसूचना 11 मई, 1982 से ही भूतलक्षी रूप से प्रवर्तन में न आई होती ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम" का वही अर्थ है जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के खंड (ख) के परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) में है ।

1944 का 1

सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 9क का संशोधन।

1975 का 51

66. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 9क की उपधारा (8) में, "उद्ग्रहण न किए जाने, कम उद्ग्रहण, प्रतिदाय और अपीलों से संबंधित" शब्दों के स्थान पर, "शुल्क की दर के अवधारण के लिए तारीख, उद्ग्रहण न किए जाने, कम उद्ग्रहण, प्रतिदाय, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों से संबंधित" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 9ग का संशोधन।

67. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ग में, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1अ) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील के साथ, पन्द्रह हजार रुपए की फीस होगी ।

(1आ) अपील अधिकरण के समक्ष, किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ,—

(क) उपधारा (1) के अधीन रोके जाने की मंजूरी के लिए या, भूल की परिशुद्धि के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी अपील की दशा में ; या

(ख) किसी अपील अथवा किसी आवेदन के प्रत्यावर्तन के लिए,

पांच सौ रुपए की फीस होगी ।"।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

68. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(i) अध्याय 11 में, टैरिफ मद 1108 12 00, 1108 14 00, 1108 19 10 और 1108 19 90 में, स्तंभ (4) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर प्रत्येक के सामने "50%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) अध्याय 19 में, टैरिफ मद 1903 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "50%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) अध्याय 29 में, टैरिफ मद 2922 42 20 में स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर "- मोनोसोडियम ग्लूटामेट" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) अध्याय 35 में, टैरिफ मद 3505 10 10 और 3505 10 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रत्येक के सामने "50%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।